

मुन्तकिली प्रकरण सं० 60/2016 अनवानी बलदेव सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति जटसिख साकिन लिखमावाला तहसील रायसिंहनगर बनाम 1-गुरतेज सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख नि० 25 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर 2-अति० जिलाधीश (प्र०) श्रीगंगानगर



03.08.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री ओ.पी. बतरा उपस्थित है। अप्रार्थी गुरतेज सिंह के अभिभाषक श्री बलविन्द्र सिंह बराड उपस्थित है। अप्रार्थी गुरतेजसिंह की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं फहरिस्त सूचि में अंकित आदेश दिनांक 11-9-12 की फौटो प्रति शामिल पत्रावली की गयी। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी गुरतेजसिंह के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर में लंबित शिकायत सीलिंग प्रकरण संख्या 15/2012 बलदेवसिंह बनाम गुरतेजसिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा० पत्र अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा० पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है।

मैंने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर में लंबित शिकायत सीलिंग प्रकरण संख्या 15/2012 बलदेवसिंह बनाम गुरतेजसिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा० पत्र पेश किया है। चूंकि तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और व कार्य मुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है। अतः मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)  
जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर

1498  
2084